the declaration of Annewari or pending its declaration where the District Collector certifies that the crop yield is below 50 per cent of the normal yield and District Consultative Committee (DCC) is satisfied about it, quick relief measures have to be initiated by banks as per the guidelines. The beneficiaries are farmers rural artisans, traders and self-employed owners of small and tiny units. The standing guidelines *inter-alia* envisage (i) conversion of short term production loans into medium terms loans (ii) rescheduling postponment of existing term loan in stalments, (iii) provision of additional need based crop loans/working capital and (iv) relaxation in security and margin norms etc.

मोदी सीमेंट लिमिटेड द्वारा शेयरों की खरीद-बिक्री

2639. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मोदी सीमेंट लिमिटेड शेयरों की खरीद-बिक्री विहित कानूनों और नियमों के अनुसार करता रहा है और क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है; यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं;

(ख) क्या वित्त मंत्री को मोदी सीमेंट लिमिटेड द्वारा शेयरों की खरीद में अनियमितता बरतने तथा गोलमाल करने और मैसर्स निशा एंड कम्पनी, मोहम्मदाबाद, गोहना जिला, मऊ, उत्तर प्रदेश के शेयर धन को हड़प लेने के बारे में संसद के कुछ माननीय सदस्यों एवं भारत सरकार में राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों के पत्र मिले हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई हैं और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा अबरार अहमद) : (क) कम्पनी कार्य विभाग ने सूचित किया है कि उसे मैसर्स मोदी सीमेंट लि० से पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 के अन्तर्गत अन्य कम्पनियों से शेयर खरीदने के लिये अनुमति मांगने संबंधी कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार से पूर्व अनुमोदन केवल उन मामलों में अपेक्षित होता है जब कम्पनी का निवेश दूसरे निगमित निकायों में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 के अर्न्तगत निर्धारित सीमा से बढ़ जाता है, कम्पनी कार्य विभाग के ध्यान में कम्पनी द्वारा किसी कानून का उल्लघंन करने की बात सामने नहीं आई है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार में राज्य मंत्री श्री कल्पनाथ राय और सांसद श्री ईशदत्त यादव ने मोदी सीमेंट लि० द्वारा मैसर्स खान ट्रेडर्स/निशा एण्ड कम्पनी, मोहम्मदाबाद गोहना, मऊ, उ० प्र० को शेयरों का आबंटन न करने के संबंध में वित्त मंत्री को पत्र भेजे थे। इस मामले को कम्पनी कार्य विभाग के साथ उठाय गया था। संबंधित विभाग के अनुसार, मैसर्स खान ट्रेडर्स को दि० 23-3-1986 को मोदी सीमेंट लि० के 2500 शेयर आबंटित किये गये थे और उससे (मै० खान ट्रेडर्स), यह अपेक्षा की गई थी कि वह शेष आबंटन राशि का प्रति शेयर 5/- रु0 के हिसाब से कुल 12500/- रु0 का भुगतान करें। परन्तु अनस्मारक पत्र भेजे जाने के बाद भी मै० खान ट्रेडर्स ने शेष राशि को जमा नहीं कराया है। इस लिये दि० 7-1-1990 को रजिस्टर्ड डाक द्वारा कम्पनी ने अंतिम नोटिस जारी किया था जिसमें दि0 28-2-90 तक शेष राशि का भुगतान करने का अनरोध किया गया था। और ऐसा न करने पर बिना और नोटिस के शेयरों को जब्त कर लेने की बात कही गई थी। कि मै० खान ट्रेडर्स ने निश्चित तारीख तक शेष राशि का भुगतान नहीं किया है, इसलिये कम्पनी के निदेशक बोर्ड ने अपने संस्था के अन्तर्नियम के अनुसार शेयरों का जब्ती का निर्णय

लिया है । कम्पनी ने कई समाचार पत्रों ने भी जब्ती नोटिस प्रकाशित किया । कम्पनी अधिनियम, 1956 कम्पनी कार्य विभाग को यह शक्ति प्रदान नहीं करता है कि वह किसी कम्पनी को प्रभावित व्यक्ति के लिये जब्ती आदेश निरस्त कर दे और शेयरों का पुनःनिर्गमित करें ।

कृषि-ऋणों पर ब्याज दर

2640. श्री राम गोपाल यादव : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये जाने वाले कृषि ऋण पर लगने वाले ब्याज की दर को प्रति वर्ष बढ़ाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उपरोक्त ऋण पर लगने वाले ब्याज की दर का वर्ष वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ब्याज दर में उपरोक्त वृद्धि के कारण इस तरह के ऋण लेने वाले किसानों की संख्या में कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ब्याज दर को घटाने पर विचार कर रही है ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० अबरार अहमद) : (ग) जी, नहीं । ब्याज दरों को ऋणों के आकार के साथ जोड़ा जाता है, न कि किसी क्षेत्रीय गतिविधि के साथ । उधार दर संरचना का निर्धारण अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर, मुद्रास्फीति की दर, मौद्रिक प्रसार की गति, बैंकों द्वारा संसाधन जुटाने की लागत, प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं, बैंकों को अपनी लाभप्रदता बनाये रखने की आवश्यकता जैसे सभी संबद्ध पहलुओं को ध्यान में रखते हुये किया जाता है । नीचे दी गई सारणी में पिछले 3 वर्षों की उधार दर संरचना दी उई है :-

सीमा का आकार	प्रतिशत वार्षिक से प्रभावी		
	9-10-91	22-4-92	24-6-93
(I) 7500 रुपये तक	11.5	11.5	12.0
(II) 7500 रुपये अधिक और 15000 रुपये तक	13.0	13.5	12.0
(III) 15000 रुपये से अधिक और 25000 रुपये तक	13.5	13.5	12.0
(IV) 25000 रुपये से अधिक और 50000 रुपये तक	14.0	15.0	15.0
(V) 50000 रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक	15.0	15.0	15.0
(VI) 2 लाख रुपये से अधिक	15.0	15.0	15.0 (न्यूनतम)
विभेदी ब्याज दर अग्रिम	4.0	4.0	4.0

(घ) निधियों जी लागत और प्रारक्षित निधि अपेक्षाओं को देखते हुए अनुसूचित वाणिजयक बैंकों के लिए निर्धारित वर्तमान उधार दर संरचना को उपयुक्त समझा जाता है ।